



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल उवालयर म. प्र.

24381-80216

प्रकरण कमांक

- 1- अनारसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत
 - 2- अजयपालसिंह पिता कारूसिंह राजपूत
 - 3- कारूसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत
 - 4- होकमसिंह पिता कालुसिंह राजपूत
- सभी निवासी- ग्राम सिहोर तहसील व जिला मंदसौर
- 5- विमलचन्द्र पिता बसंतिलाल महाजन
- निवासी- रामटेकरी, मंदसौर जिला मंदसौर

—आवेदकगण

बनाम

- 1- रमेश पिता भागीरथ जाति हरीजन
 - 2- पीरूलाल पिता भागीरथ जाति हरीजन
 - 3- मंजुलाल पिता भागीरथ जाति हरीजन
 - 4- देवीलाल पिता किशन जाति गायरी
 - 5- अशोक कुमार पिता झमकलाल जी जैन
- सभी निवासीयान - ग्राम सिहोर तहसील व जिला मंदसौर
- 6- रामलाल पिता मानसिंह आंजना
- निवासी- ग्राम पिपलियासीर तहसील जावरा जिला रतलाम
- 7- शंभूसिंह पिता कुबेरसिंह राजपूत
- निवासी- ग्राम सिहोर तहसील व जिला मंदसौर

—विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

विरुद्ध आदेश दिनांक 30.11.2016 प्रकरण कमांक
11/निगरानी/2015-16 न्यायालय अपर कलेक्टर मंदसौर

आदेश दिनांक 22.06.2016 प्रकरण कमांक 1/अ-13/2015-16
न्यायालय नायब तहसीलदार मंदसौर, उक्त आदेश के विरुद्ध अपर
कलेक्टर मंदसौर को निगरानी की गयी थी, जिसको निरस्त किये
जाने पर यह निगरानी प्रस्तुत है।

By
Advocate

निरंतर पेज नं. 2

श्री गणेशाय नमः
श्री कृष्णाय नमः
उज्जैन म. प्र.
22-12-16

C.A. 201-17
2017

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4381-पीबीआर/16

जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश कुमावत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	